अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा
(डी.आई.पी.पी.)

अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य
(जुलाई 2024)

बी.एल.ई.–001 : भारतीय विधि व्यवस्था का परिचय
बी.एल.ई.–002 : कानून का परिचय
बी.एल.ई.–003 : विधि और संवेदनशील समूह
बी.एल.ई.–004 : ग्रामीण स्थानीय स्वशासन

विधि विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110 068

अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा (डी.आई.पी.पी.)

प्रिय विद्यार्थी,

विश्वविद्यालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके द्वारा चुने गए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आपको एक सत्रीय कार्य पूरा करना है।

आप पाएंगे कि सत्रीय कार्यों में दिए गए प्रश्न विश्लेषणात्मक (analytical) और वर्णनात्मक (descriptive) हैं ताकि आप अवधारणाओं को बेहतर ढंग से जान और समझ सकें।

यह महत्त्वपूर्ण है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निकटतम शब्द-सीमा में होना चाहिए। स्मरण रहे कि सत्रीय कार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपके लेखन कौशल में सुधार होगा और आप सत्रांत परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

स्त्रीय कार्य जमा कराना

आपको अपने अध्ययन केंद्र के संचालक (Co-ordinator) के पास सत्रीय कार्य जमा कराने हैं। आपको जमा कराए गए सत्रीय कार्यों के लिए अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य लेनी चाहिए और इसे अपने पास रखना चाहिए। आप जो सत्रीय कार्य जमा कराएं, कृपया उसकी फोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखें।

मूल्यांकन करने के बाद, अध्ययन केंद्र आपको सत्रीय कार्य लौटा देगा। कृपया जाँचे गए सत्रीय कार्यों के लिए आग्रह कीजिए। अध्ययन केंद्र इग्नू स्थित विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, नई दिल्ली को अंक भेजेगा।

आपको अपने अध्ययन केंद्र में नीचे लिखे अनुसार सत्रीय कार्य जमा कराने हैं :

जनवरी के लिए 30 सितम्वर,2024
जुलाई के लिए 30 मार्च,2024 तक

सत्रीय कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश

हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्रीय कार्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। आपको इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा :

1) **योजना :** सत्रीय कार्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उन इकाइयों का अध्ययन कीजिए जिन पर वे आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कुछ बिंदु तैयार कीजिए और फिर उन्हें तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

2) **आयोजन :** अपने उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार करने से पहले थोड़ा चयन और विश्लेषण कीजिए। प्रश्न की प्रस्तावना (परिचय) और निष्कर्ष पर पर्याप्त ध्यान दीजिए।

   यह सुनिश्चित कर लें कि :

क) उत्तर तर्कसंगत और उपयुक्त है।
ख) वाक्यों और पैराग्राफों का स्पष्ट मेल है।
ग) आपकी अभिव्यक्ति में प्रस्तुतिकरण सही है।

3) **प्रस्तुतिकरण :** एक बार अपने उत्तर से संतुष्ट होने पर आप सत्रीय कार्य जमा कराने के लिए अंतिम रूप (पाठ) लिख सकते हैं। **अपनी लिखाई में सभी सत्रीय कार्य स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है।** यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप जिन बिन्दुओं पर जोर देना चाहते हैं, उनको रेखांकित कीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आपका उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में होना चाहिए।

शुभकामनाओं के साथ!

कार्यक्रम संचालक (डी.आई.पी.पी.)

बी.एल.ई.–001 : भारतीय विधि व्यवस्था का परिचय

पाठ्यक्रम कोड : बी.एल.ई.–001
सत्रीय कार्य कोड : बी.एल.ई.–001/टी.एम.ए./2024
अधिकतम अंक : 100

केवल 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

1. जनहित याचिका (Public Interest Litigation) क्या है? ऐसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने मूल अधिकारों के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है।

2. मानव अधिकार को परिभाषित कीजिए। मानव अधिकारों को लागू करने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत उपलब्ध तंत्र का वर्णन कीजिए।

3. भारत के संविधान मे प्रदान किये गए विभिन्न मूल अधिकारों का विश्लेषण कीजिए।

4. ''विधिक सहायता से क्या अभिप्राय हैं। भारत में प्रचलित लोक अदालत व्यवस्था की चर्चा कीजिए।

5. कार्यपालिका (executive) को परिभाषित कीजिए। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

6. अधीनस्त न्यायालय व्यवस्था का विवरण दीजिए।

7. विधान (legislation) को परिभाषित कीजिए। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों की वैधानिक शक्तियों को किस प्रकार वितरित किया गया है?।

8. संविधान में उल्लीखीत राज्य के निति निदेशक सिद्धान्तो का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। क्या इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। चर्चा कीजिए।

9. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रकिृया का विवरण कीजिए।

10. लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। प्रतक्ष तथा अप्रतक्ष लोकतंत्र के बीच अन्तर स्पस्ट कीजिए।

11. भारत के संविधान में संघवाद की अवधारणा को स्पस्ट कीजिए।
12. मंत्री परिसद पर एक नोट लिखिए।

बी.एल.ई.–002 : कानून का परिचय

पाठ्यक्रम कोड : बी.एल.ई.–002
सत्रीय कार्य कोड : बी.एल.ई.–002/टी.एम.ए/2024
अधिकतम अंक : 100

केवल 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

1. निष्पक्ष मुकदमे (fair trial) को परिभाषित कीजिए। आपराधिक मामलों में निष्पक्ष मुकदमों के तत्वों की चर्चा कीजिए।

2. सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानूनों की चर्चा कीजिए।

3. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण और विवाह-विच्छेद (तलाक) की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए।

4. ''कम्पनी'' शब्द को परिभाषित कीजिए। यह साझेदारी और सीमित देयता साझेदारी (limited liability partnership) से किस प्रकार अलग है?

5. भारत में पुलिस प्रणाली की संगठनात्मक संरचना का वर्णन कीजिए।

6. प्रमाण के भार (burden of proof) को परिभाषित कीजिए। सिविल और आपराधिक मुकदमों में यह किस प्रकार भिन्न है?

7. उत्तराधिकार (succession) को परिभाषित कीजिए। निर्वसीयती और वसीयती उत्तराधिकार (intestate and testamentary succession) के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

8. वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 पर एक नोट लिखिए।

9. भारतीय न्यायपालिका द्वारा बंदियों को प्रदान किय गए अधिकारों की चर्चा कीजिए।

10. उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपलब्ध तंत्र का वर्णन कीजिए।

11. प्ली बार्गेनिंग को स्पस्ट कीजिए।
12. सिविल वाद को परिभाषित कीजिए।

बी.एल.ई.–003 : विधि और संवेदनशील समूह

पाठ्यक्रम कोड : बी.एल.ई.–003
सत्रीय कार्य कोड : बी.एल.ई.–003/टी.एम.ए./2024
अधिकतम अंक : 100

केवल 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

1. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी सम्मेलन, 2006 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को दिए गए विभिन्न अधिकारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

2. बंधुआ मजदूरी को परिभाषित कीजिए। इसकी रोकथाम के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों की चर्चा कीजिए।

3. बाल श्रम को परिभाषित कीजिए। बाल श्रम की रोकथाम करने वाले विभिन्न कानूनी उपबंधों की समीक्षा कीजिए।

4. शिक्षा का अधिकार क्या हैं। यह अधिकार बच्चों के निः शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 द्वारा सुनिचित किया गया है?

5. दहेज को परिभाषित कीजिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के प्रमुख उपबंधों की चर्चा कीजिए।

6. अनूसुचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दिये गये प्रमुख अपराधों की चर्चा कीजिए।

7. एच.आई.वी./एड्स को परिभाषित कीजिए। इसमें शामिल सामाजिक-कानूनी मुद्वों की चर्चा कीजिए।

8. किशोर न्याय विधि के अंतर्गत बाल कल्याण समिति (Child Welfair Committee) की भूमिका की चर्चा कीजिए।

9. कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न संबंध में उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शी सिद्धांतों की चर्चा कीजिए।

10. महिला श्रमिकों के अधिकारों का वर्णन कीजिए।
11. विकलांगता के मानव अधिकार मोडल को स्पस्ट कीजिए।
12. पुनर्वास परिसद अधिनियम 1992 के मुख्य प्रावधानों का विवरण दीजिए।

बी.एल.ई.–004 : ग्रामीण स्थानीय स्वशासन

पाठ्यक्रम कोड : बी.एल.ई.–004
सत्रीय कार्य कोड : बी.एल.ई.–004/टी.एम.ए./2024
अधिकतम अंक : 100

केवल 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

1. ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत की शक्तियों और कार्यों की चर्चा कीजिए।

2. आवास के अधिकार को परिभाषित कीजिए। इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की समीक्षा कीजिए।
3. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के प्रमूख प्रावधानों की चर्चा कीजिए।
4. आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की आपदाओं की चर्चा कीजिए।

5. स्वास्थ्य का अधिकार क्या है? उन अंतरराष्ट्रीय लिखतों (instruments) और संवैधानिक उपबंधों की चर्चा कीजिए जो इस अधिकार की गारंटी देते हैं।

6. भोजन के अधिकार को परिभाषित कीजिए। उच्चतम न्यायालय के उन विभिन्न निर्णयों की समीक्षा कीजिए जो इस अधिकार का समर्थन करते हैं।

7. भूमि के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए।

8. लघु वित्त क्या है। उन कारकों की चर्चा कीजिए। जिनसें भारत में लघु वित्त कों बड़ावा मिलता है।

9. जल कें अधिकार को परिभाषित कीजिए। इस अधिकार को देश के विभिन्न कानूनों द्वारा किस प्रकार संरक्षित किया गया है।

10. सामाजिक लेखा परीक्षा (social audit) क्या हैं। यह किस प्रकार कल्याणकारी योजनों के कृियान्वयन में उत्तरदायित्व निर्धारित करनें में सहायक सिद्ध होता है।

11. सर्वोपरि अधिकार को स्पस्ट कीजिए।

12. भारतीय विधि के अंतर्गत आदीवासियों के भूमि संबन्धि अधिकारो की चर्चा कीजिए।

बी.एल.ई.पी.–001 : परियोजना कार्य (Project Work)

प्रिय विद्यार्थी,
इस पाठ्यक्रम में आपको नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 4000 शब्दों में एक परियोजना (Project) लिखनी है और इसे अपने अध्ययन केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र में जमा कराना है। परियोजना लिखने से पहले आप अध्ययन सामग्री के साथ भेजी गई परियोजना दर्शिका बी.एल.ई.पी.–001 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कृपया निम्नलिखित पैराग्राफों को भी ध्यान से पढ़िए।

इस परियोजना को लिखने से पहले हमारा आपको सुझाव है कि आप निकटतम विधि पुस्तकालय (Law Library) में जाएँ। आप लॉ कालेजों, बार एसोसिएशनों आदि के पुस्तकालयों में इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अच्छे वकीलों के पास भी ऐसे पुस्तकालय हैं। इन पुस्तकालयों में आपको अधिनियम, व्याख्याएँ (commentaries), डायजेस्ट जर्नल (पत्र-पत्रिकाएँ) आदि मिलेंगे। महत्वपूर्ण जर्नल हैं–आल इंडिया रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट केसेज (SCC) आदि। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन जर्नल भी हैं जैसे मनुपत्र आदि। अनेक वेबसाइट भी उपलब्ध हैं जैसे indiacode.nic.in जिसमें आपको संसद के सभी अधिनियम मिल सकते हैं।

जर्नलों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूरे निर्णय है, निर्णय के आरंभ में दी गई मुख्य टिप्पणियों के आधार पर, आप अपनी परियोजना की विषयवस्तु (theme) के अनुसार उनका चयन कर सकते हैं। इसके बाद इन चुने हुए निर्णयों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन्हें पढ़ते हुए, उन तथ्यों तथा तर्कों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कीजिए जिन पर ये निर्णय आधारित हैं। परियोजना में हम आपसे निर्णयों का मूल विश्वलेषण प्रस्तुत करने की आशा करते हैं।

परियोजना के लिए विषय

1. भारत में लोक अदालत व्यवस्था।
2. सूचना का अधिकार।
3. हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद।
4. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा
5. असंगठित क्षेत्र मे श्रम अधिकार।
6. आवास का अधिकार।
6. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार
7. भोजन का अधिकार।
8. थ्वकलांग व्यक्तियों के अधिकार।

किसी भी स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन के लिए, अपने अध्ययन केंद्र के परामर्शदाता अथवा कार्यक्रम संचालक (Programme Coordinator) से निस्संकोच संपर्क कीजिए।

शुभकामनाओं के साथ!

कार्यक्रम संचालक